

न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कं.-1232 / 2014
 संस्थित दिनांक-18.12.2014
 फाईलिंग क्र.234503010262014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

1-दीपक शाह पिता जगदीश शाह, उम्र-35 वर्ष, जाति ठठेरा,
 निवासी-ठठेरा मुहल्ला, मुंगेर बाजार, थाना कासिम बाजार,
 जिला मुंगेर (बिहार)

2-राजेश पिता वकील शाह, उम्र-35 वर्ष, जाति ठठेरा,
 निवासी-ग्राम जमुनिया, थाना शाहू पर्वता,
 जिला भागलपुर (बिहार)

आरोपीगण

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-18/08/2015 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420/34, 406/34 के तहत आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक-02.07.2014 को दोपहर 12:30 बजे कंपाउण्डर टोला वार्ड नंबर-5 बैहर, थाना बैहर में सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी गुणवन्ती ब्रम्हनोटे के आधिपत्य के दो सोने के कंगन एवं एक सोने की अंगूठी को साफ करने का आश्वासन देकर उक्त फरियादी को प्रवंचित कर, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर उक्त संपत्ति को प्राप्त कर उसे नुकसान पहुंचाकर छल कारित किया तथा फरियादी गुणवन्ती के आधिपत्य के दो सोने के कंगन एवं एक सोने की अंगूठी को साफ करने का आश्वासन देकर फरियादी द्वारा उक्त संपत्ति आपको न्यस्त किये जाने पर उसे बेईमानी से दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यासभंग किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक-02.07.2014 को 12:30 बजे दिन में फरियादी गुणवन्ती ब्रम्हनोटे के घर दो अज्ञात व्यक्ति

आए और उससे बोले की हम लोग जेवर, टी.वी., फ्रिज, कुर्सी साफ करने का काम करते हैं और आपके पास जेवर हो तो हमें दे दो, हम साफ कर देंगे। फिर वह दो कंगन एक-एक तोले की एवं 5 ग्राम की अंगूठी सोने की उन्हें दे दी। उन्होंने उस जेवर को कुकर में डालने के लिए बोला और वह उनके साथ किचन में आई, तब उन्होंने कहा कि कुकर को गैस में चढ़ाकर कुकर को गर्म करो तो जेवर साफ हो जाएंगे। फिर उसने 5 मिनट बाद कुकर खोलकर देखा और फिर उसने बाहर आकर देखा तो वे लोग नदारद थे। उसके द्वारा कुकर खोलकर देखे जाने पर उसमें कंगन व अंगूठी नहीं थी। उसने मुहल्ले में दौड़कर इधर-उधर पता किया, लेकिन वे लोग नहीं मिले। उनका हुलिया जिसमें से एक व्यक्ति कम कद का एवं दूसरा लम्बा था और एक व्यक्ति गोरा व दूसरा सांवला था, जिनकी भाषा हिन्दी थी। दिनांक-28.09.14 को हरिभूमि अखबार में उसने पढ़ी एवं फोटो देखी तो आरोपी धूमा सिवनी में पकड़े गए थे। उक्त घटना की सूचना फरियादी गुणवन्ती ब्रम्हनोटे द्वारा थाना बैहर में दो अज्ञात आरोपी के विरुद्ध लेखबद्ध कराई गई, जिसे थाना बैहर में अपराध क्रमांक-148/2014, धारा-420/34 भा.द.वि. के अंतर्गत कायम किया गया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा उपजेल लखनादौन में अन्य मामलों में परिरुद्ध आरोपीगण की औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनादौन से प्राप्त की गई तथा शिनाख्ती व मेमोरेण्डम कार्यवाही करवाकर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420/34, 406/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए गये अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक-02.07.2014 को दोपहर 12:30 बजे कंपाउण्डर टोला वार्ड नंबर-5 बैहर, थाना बैहर में सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी गुणवन्ती ब्रम्हनोटे के आधिपत्य के दो सोने के कंगन एवं एक

सोने की अंगूठी को साफ करने का आश्वासन देकर उक्त फरियादी को प्रवंचित कर, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर उक्त संपत्ति को प्राप्त कर उसे नुकसान पहुंचाकर छल कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गुणवन्ती के आधिपत्य के दो सोने के कंगन एवं एक सोने की अंगूठी को साफ करने का आश्वासन देकर फरियादी द्वारा उक्त संपत्ति आपको न्यस्त किये जाने पर उसे बेईमानी से दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यासभंग किया ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष:-

5— बबिता ब्रम्हनोटे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानती। प्रार्थी गुणवन्तीबाई उसकी सास है। घटना दिनांक-02.07.2014 की दिन के लगभग 12:00 बजे उसके निवास स्थान की बात है। दो व्यक्ति आकर उसकी सास गुणवन्तीबाई से जेवर साफ करने के संबंध में बात कर रहे थे। फिर वह भी बुलाने पर गई थी, तो उन दो व्यक्तियों ने उससे कहा कि वे लोग जेवर साफ करते हैं और आप लोग अपने जेवर साफ करवा लिजिए। उन दोनों व्यक्तियों ने उसे हाथ में पाउडर देकर पानी डाला और उससे पाउडर के ठण्डे-गरम के बारे में पूछने लगे। उन दोनों व्यक्तियों में से किसी ने उसकी सास के हाथ में भी पाउडर दिए थे और पानी डालकर उसकी सास गुणवन्ती बाई ने पहनी हुई अंगूठी को उस पाउडर में मिलाया था। उसने अपने हाथ का पाउडर अपनी सास के हाथ में दी और अपने रूम में चली गई थी। उक्त दोनों व्यक्ति न्यायालय में हाजिर आरोपीगण नहीं थे। फिर बाद में उसकी सास गुणवन्ती बाई ने बताई कि उन दोनों व्यक्तियों ने उसके हाथ के दोनों कंगन और एक अंगूठी साफ करने का बहाना बताकर ले गए थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कोई बयान नहीं लिये थे।

6— उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण के द्वारा ही उक्त घटना कारित की गई थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 से भी इंकार किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसकी सास गुणवन्तीबाई कैंसर की बीमारी से फौत हो गई। उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि तो की है कि घटना के समय फरियादी गुणवन्तीबाई के आधिपत्य से सोने के जेवर साफ करने के बहाने दो व्यक्तियों ने छल

करते हुए लेकर चले गए, किन्तु उक्त व्यक्तियों की आरोपीगण के रूप में पहचान करने से इंकार किया है तथा यह भी बताया है कि वे व्यक्ति आरोपीगण नहीं थे। इस प्रकार आरोपीगण के विरुद्ध साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

7— दुलारी (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह प्रार्थी गुणवंती बाई को जानती थी, क्योंकि वह उन्हीं के मकान में किराए से रहती थी। वह न्यायालय में हाजिर आरोपीगण को नहीं जानती है। उसे बाद में पता चला था कि गुणवंती बाई के गहने साफ करने के बहाने दो व्यक्ति लेकर चले गए थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपीगण ने गुणवंतीबाई से जेवर साफ करने के बहाने दो हाथ के कंगन व अंगूठी साफ करने का झांसा देकर, लेकर चले गए थे। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने केवल जानकारी के आधार पर अनुश्रुत साक्षी के रूप में फरियादी गुणवंतीबाई के गहने दो व्यक्तियों द्वारा ले जाने की बात बताई है, किन्तु साक्षी ने आरोपीगण की पहचान नहीं की है और न ही उनके द्वारा कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन किया है।

8— अनुसंधान अधिकारी शिवाजी तिवारी (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-29.09.2014 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी गुणवंतीबाई की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 एवं उसके साथ संलग्न दिनांक-28 सितम्बर 2014 की हरिभूमि पेपर जो आर्टिकल ए-1 था, पेश करने पर उसके द्वारा दोनों अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक-148/14, धारा-420/34 भा.द.वि. प्रदर्श पी-6 लेख किया था, जिस पर उसके एवं प्रार्थी गुणवंतीबाई के हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-29.09.2014 को प्रार्थी गुणवंतीबाई, साक्षी बबिता, दुलारी बाई एवं दिनांक-30.09.2014 को सुनील एवं दिनांक-26.11.2014 को किसन एवं महेन्द्र के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया। दिनांक-29.09.2014 को प्रार्थी की निशानदेही पर उक्त घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके एवं प्रार्थी गुणवंतीबाई के हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी एवं साक्षीगण के कथन लेने के पश्चात् आरोपीगण के उपजेल लखनादौन से न्यायालय से अनुमति उपरांत साक्षी

बीरनलाल एवं दुर्गाप्रसाद के सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना मोबाईल के माध्यम से उनके रिश्तेदारों को दी गई थी, जिसकी सूचना प्रदर्श पी-10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पुलिस रिमांड दिनांक-26.11.2014 का प्राप्त किया था। फिर आरोपीगण से घटना कारित करने वाले घर के रास्ते के संबंध में पूछताछ किया गया। आरोपीगण ने थाने से प्रार्थी गुणवंतीबाई के घर तक लेकर गये थे, जिनका नजरी नक्शा प्रदर्श पी-11 एवं 12 है, जो उसके द्वारा साक्षियों के समक्ष तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी दीपक से साक्षी महेन्द्र एवं किसन के समक्ष पूछताछ कर प्रदर्श पी-13 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया था, जिस पर उसके एवं आरोपी दीपक के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी राजेश से उक्त साक्षीगण के समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-14 लेखबद्ध किया था, जिस पर उसके और आरोपी राजेश के हस्ताक्षर हैं। उक्त आरोपीगण ने मेमोरेण्डम कथन में जेवर साफ करने के बहाने से जेवर लेकर भागने और उक्त जेवर का बैग ट्रेन में से किसी अज्ञात चोर द्वारा चुरा लेने की जानकारी दी है। उसने दिनांक-12.12.2014 को आरोपीगण की शिनाख्ती की कार्यवाही नायब तहसीलदार लखनादौन से करवाई थी।

10— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी के लिखित आवेदन प्रदर्श पी-5 पर दिनांक का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने ही उक्त आवेदन तैयार किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से कोई सामग्री जप्त नहीं हुई है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-13 एवं प्रदर्श पी-14 पर साक्षीगण के हस्ताक्षर कोरे कागज में करवा लिया था। साक्षी ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में आरोपीगण से संबंधित अपराध में किस शंका के आधार पर गिरफ्तारी कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपराध से संबंधित वस्तु की आरोपीगण से जप्ती नहीं की गई है। ऐसी दशा में मात्र मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-13 एवं प्रदर्श पी-14 के आधार पर की गई कार्यवाही को अभियोजन के द्वारा अपराध प्रमाणित करने हेतु निर्भर है।

11— नायब तहसीलदार नीरज (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-12.12.2014 को लखनादौन में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी बैहर के निवेदन पर उपजेल लखनादौन में दीपक शाह को अन्य 5 लोगों के साथ एक लाईन में खड़ा करके श्रीमती गुणवंतीबाई ब्रम्हनोटे से पहचान कार्यवाही की गई थी, जिसमें उसने आरोपी दीपक शाह को नहीं पहचान पाई थी, जिसका शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को पुलिस थाना बैहर के निवेदन पर उपजेल लखनादौन में राजेश शाह अन्य पांच व्यक्तियों को लाईन में खड़ा कर गुणवंतीबाई से पहचान कार्यवाही कराया गया था, जिसमें उसने आरोपी राजेश शाह को पहचान लिया था, जिसका शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 पर श्रीमती गुणवंतीबाई ब्रम्हनोटे और आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं।

12— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 में उल्लेखित पांच व्यक्ति उपजेल लखनादौन के ही हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी गुणवंतीबाई ने आरोपी राजेश की पहचान नहीं की थी और उक्त पहचान वाली बात अपने मन से लेख कर लिया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने झूठा शिनाख्ती पंचनामा तैयार किया है। इस प्रकार साक्षी ने मात्र आरोपी राजेश की पहचान फरियादी गुणवंतीबाई के द्वारा किया जाना बताया है। यद्यपि अभियोजन ने स्वयं फरियादी गुणवंतीबाई के फौत होने के कारण उसकी साक्ष्य न्यायालय में नहीं कराई है तथा फरियादी गुणवंतीबाई की साक्ष्य के अभाव में उक्त आधी-अधूरी शिनाख्ती कार्यवाही का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

13— सुनील (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता, प्रार्थी गुणवंतीबाई को जानता है। घटना वर्ष 2014 की दिन के 12:00 बजे की है। घटना के समय वह उन्हीं के मकान पर किराए पर रहता था। उक्त घटना के समय वह आवाज सुनकर गुणवंतीबाई को बताया था कि आपके गेट पर कोई आवाज दे रहा है, तभी एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की होना प्रतीत हो रही थी, गुणवंतीबाई के घर के अंदर आया और गुणवंतीबाई के हाथ में पहनी अंगूठी को निकलवाकर पाउडर से साफ करके बताया तथा एक अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 28-30 वर्ष की होना प्रतीत होती थी, गुणवंतीबाई से कुकर बुलवाकर

गुणवंतीबाई के दोनों सोने के कंगन एवं एक सोने की अंगूठी को कुकर में डलवाकर पानी हल्दी एवं पाउडर डालकर गैस में गर्म करने को कहा गया। गुणवंतीबाई एवं उन दोनों में से एक व्यक्ति गुणवंतीबाई के साथ रसोई घर में गये तथा उन दोनों में से बाहर उपस्थित एक व्यक्ति ने पाउडर रखने के लिए पेपर लाने के लिए बाहर पहुंचा दिया था, तभी वे दोनों व्यक्ति उसके सामने चले गए। गुणवंतीबाई ने जाकर कुकर में रखे अपने आभूषण चेक किया तो आभूषण नहीं मिले। उक्त दोनों व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

14— उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपीगण ने घटना के समय गुणवंतीबाई के दो सोने के कंगन एवं एक सोने की अंगूठी साफ करने के बहाने से चकमा देकर ले गए थे। साक्षी का स्वतः कथन है कि उक्त व्यक्ति आरोपीगण नहीं थे। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण की पहचान कथित छल कारित करने वाले व्यक्तियों के रूप में नहीं की है तथा स्पष्ट रूप से आरोपीगण की घटना के समय उपस्थिति से इंकार किया है। इस प्रकार आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में इस साक्षी ने अभियोजन मामलों का कोई समर्थन नहीं किया है।

15— महेन्द्र जगदे (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसने आरोपीगण को बैहर थाने में देखा था। उसके समक्ष आरोपी दीपक एवं राजेश ने कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं दिया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-13 एवं प्रदर्श पी-14 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो पुलिस ने उससे कोरे कागज में करवा लिये थे। उसके समक्ष पुलिस ने नजरी नक्शा प्रदर्श पी-11 नहीं बनाया था, किन्तु उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने पुलिस मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-13 एवं 14 में पुलिस को पूछताछ के दौरान कथन दिए थे। साक्षी ने नजरीनक्शा प्रदर्श पी-11 एवं 12 पुलिस द्वारा उसके सामने बनाए जाने से इंकार किया तथा उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-15 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने उक्त कोरे दस्तावेजों पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिए थे और अपने मन से पुलिस ने कथन लेख कर दिया था। इस प्रकार साक्षी ने पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य

में नहीं किया है।

16— प्रकरण में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 में घटना दिनांक-02.07.14 लेख किया है, जबकि रिपोर्ट लेख करने और पुलिस थाने में सूचना प्राप्त होने की दिनांक-29.09.14 लेख की गई है। इस प्रकार मामले में लगभग तीन माह का विलंब रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में प्रकट होता है, किन्तु उक्त विलंब के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 में कोई कारण लेख नहीं किया गया है। फरियादी गुणवन्तीबाई की साक्ष्य न्यायालय में नहीं हुई है तथा रिपोर्ट लेख कराने में हुए विलंब के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 के लेखक शिवाजी तिवारी (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। इसके अलावा कथित लिखित आवेदन पत्र में दिनांक अंकित न होने का तथ्य भी मामलों में प्राथमिकी दर्ज किये जाने में हुए विलंब को संदेहास्पद बनाता है।

17— मामलों में फरियादी गुणवन्तीबाई की फौत होने से उसकी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आ पाई है। उक्त साक्षी के अलावा जिन महत्वपूर्ण साक्षीगण को अभियोजन ने पेश किया है, उनके द्वारा अपनी साक्ष्य में आरोपीगण की पहचान नहीं की गई है और न ही घटना के समय आरोपीगण के उपस्थित होने और उक्त अपराध कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन किया है। सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि आरोपीगण के द्वारा उक्त अपराध कारित नहीं किया गया है। मामलों में आरोपीगण से अपराध से संबंधित वस्तु की जप्ती भी नहीं की गई है तथा जप्ती न किये जाने के संबंध में जो कारण जप्ती अधिकारी ने प्रकट किया है, वह अविश्वसनीय प्रतीत होता है। आरोपीगण की शिनाख्ती कार्यवाही करने वाले तहसीलदार ने भी दोनों आरोपीगण में से केवल एक आरोपी राजेश की पहचान फरियादी गुणवन्तीबाई के द्वारा किया जाना बताया है, जबकि अन्य आरोपी की पहचान व शिनाख्ती न किया जाना बताया है। आरोपीगण के द्वारा कथित जेवर को साफ कर छलपूर्वक फरियादी से ले जाने के संबंध में किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा देखा न जाना और उनकी शिनाख्ती न किये जाने से आरोपीगण के विरुद्ध साक्ष्य का अभाव है। एकमात्र पुलिस अधिकारी के द्वारा लेख प्राथमिकी, मेमोरेण्डम व अनुसंधान कार्यवाही त्रुटिपूर्ण एवं संदेहास्पद प्रकट होती है। अतः उक्त सभी कारण से अभियोजन का

मामला संदेहास्पद प्रकट होता है।

18— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गुणवन्ती ब्रम्हनोटे के आधिपत्य के दो सोने के कंगन एवं एक सोने की अंगूठी को साफ करने का आश्वासन देकर उक्त फरियादी को प्रवंचित कर, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर उक्त संपत्ति को प्राप्त कर उसे नुकसान पहुंचाकर छल कारित किया तथा फरियादी गुणवन्ती के आधिपत्य के दो सोने के कंगन एवं एक सोने की अंगूठी को साफ करने का आश्वासन देकर फरियादी द्वारा उक्त संपत्ति आपको न्यस्त किये जाने पर उसे बेईमानी से दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यासभंग किया। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420/34, 406/34 के अपराध के अन्तर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

19— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण में आरोपीगण दिनांक-02.10.2014 से दिनांक-18.08.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट